

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

संशोधित विज्ञप्ति

उ० प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली- 2013 एवं यथासंशोधित 2017 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय संवर्ग हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु निम्न योग्यता निर्धारित की गयी है।

SI No.	Category Posts	Method of Recruitment
1	Junior Assistant Category C Pay Scale 5200-20200 Grade pay 2000/-	(b) Twenty percent by promotion from amongst Group "D" employees on the basis of seniority subject to rejection of the unfit with minimum of five years substantive and satisfactory service having Qualification up to high School: Provided that the post of Amin Grade-II Shall be filled only by the direct recruitment.

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत हेतु आरक्षित किये गये पदों में से पदोन्नति हेतु वर्तमान में कुल 08 पद रिक्त है।

नोट- उपरोक्त रिक्तियों DCEP PORTAL के अपडेट होने के फलस्वरूप पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं।

उ० प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली- 2013 एवं यथासंशोधित 2017 में उल्लेख है कि चतुर्थ संवर्ग से तृतीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के लिपिकीय पदों पर निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण देते हुए हाईस्कूल तक अर्हता रखने वाले न्यूनतम पाँच वर्ष की मौलिक और संतोषजनक सेवा के साथ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समूह 'घ' (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

इसी क्रम में चतुर्थ संवर्ग से तृतीय संवर्ग में प्रोन्नति हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हाईस्कूल तथा 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा तथा अन्य अभ्यर्थी से समरूप दक्षता की स्थिति में सी०सी०सी० प्रमाण पत्र, टंकण निपुणता तथा इण्टरमीडिएट की वरीयता पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्त रिक्तियों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु उ० प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली- 2013 एवं यथासंशोधित 2017 में उल्लेख है कि Twenty percent by promotion from amongst Group "D" employees on the basis of seniority subject to rejection of the unfit with minimum of five years substantive and satisfactory service के अनुक्रम में अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को हटाते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जानी है, जिसके फलस्वरूप अनुपयुक्त अभ्यर्थियों की छंटनी किये जाने हेतु हाईस्कूल स्तर की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

इस क्रम में दिनांक 01.05.2026 को जारी विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की दक्षता के आंकलन हेतु पात्रता/लिखित परीक्षा 50 अंक समय 90 मिनट में सम्पन्न करायी जायेगी। पात्रता परीक्षा में हाईस्कूल स्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type) सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, अंकगणित/सामान्य गणित व तर्क शक्ति एवं न्यायालय के दैनिक कार्य से सम्बन्धित सामान्य 35 प्रश्न हेतु एक-एक अंक निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त पत्र लेखन एवं गद्य लेखन (पैराग्राफ) के दो प्रश्न 05-05 अंक के और एक प्रश्न अंग्रेजी से हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद हेतु निर्धारित 05 अंक का होगा।

अतः उ० प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली- 2013 एवं यथासंशोधित 2017 के अनुसार चतुर्थ संवर्ग से तृतीय संवर्ग हेतु आरक्षित कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि बढ़ाते हुए दिनांक 15.05.2026 की जाती है, जो अपराह्न 1:00 बजे तक लिए जायेंगे।

पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20.05.2026 को 3:00 PM से 4:30 PM तक (कुल 90 मिनट) पारिवारिक न्यायालय भवन, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में सम्पन्न किया जायेगा।

दिनांक 06.05.2026

अध्यक्ष,
चयन समिति/
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- केन्द्रीय नाजिर, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि वे समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचालित करायें।
- 2- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की जावे कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, फिरोजाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
- 3- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद एवं समस्त ग्राम न्यायालय।